भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0 ए0 मिस वाद सं0 132B/2017-18

शरत चन्द्र महतो बनाम 1. चन्दन कुमार महतो 2. कुन्दन महतो

:: आदेश::

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
28.11.2017		

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, गम्हरिया के पत्रांक 2227 दिनांक 16.10.17 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 132 B/2017-18 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता श्री शरत चन्द्र महतो पिता-स्व0 राजेन्द्र महतो ग्राम-डुडरा, थाना-गम्हरिया, जिला-सरायकेला-खरसावाँ ने पारिवारिक खर्च हेतु क्रेता 1. चन्दन कुमार महतो 2. कुन्दन कुमार महतो पिता सुरु चन्द्र महतो, ग्राम-दिंदली बस्ती, थाना-आदित्यपुर, जिला-सरायकेला-खरसावाँ को निम्नांकित भूमि की विक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार हैः-

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
डुडरा	03	72	105/अंदर	29.4डी0

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के पिता राजेन्द्र महतो के नाम से आर.एस. खतियान में दर्ज है। विक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहता है। आवेदक के 29.4 डी0 भूमि बिक्री करने के पश्चात् 2.00 एकड़ से अधिक भूमि बचता है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही, जिला एवं जाति 'कुर्मी' जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 29.4 डी0 भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

Scanned with CamScanner